तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **चनणा राम.** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 74/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/12/2024	अपीलार्थी चनणा राम निवासी ग्राम भूगड़ा तहसील शेरगढ़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्र दिनांक 02..08.2024 को गांव भूगरा के खसरा नम्बर 671 खाता नम्बर 98 का सन् 1980 व सन् 2010 का प्रमाणित नक्शा एवं जमाबंदी नकल उपलब्ध कराने एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 560 दिनांक 03.12.2024 से बतलाया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समयावधि में पत्रांक 337 दिनांक 07.08.2024 द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ़) को अंतरित कर दिया गया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) के स्तर से लंबित न होकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ़) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid

Digitally signed by G... rav Agrawal
Designation: Coll... r & District Magistrate
Date: 2024.12.... 8:02:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12325881